न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/590

लादू लाल आयु 55 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार, दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, दबलाना जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम गोठडा की आराजी खसरा नं. 2850 रकबा 01 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 30 दिवस (एक माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 30.09.2015 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2017 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा छोडने बाबत् मौका देखे बिना ही उक्त अपलाधीन निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर से काफी समय पहले से ही कब्जा छोडा हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा छोडने बाबत् मौका देखे बिना ही उक्त अपलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । नायब तहसीलदार ने मौका का भौतिक सत्यापन किये बिना व मौका देखे बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने पूर्व में ही वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है । पटवारी हल्का को अपनी जॉच रिपोर्ट अपीलान्ट की मौजूदगी में व पडोसी व्यक्तियों की मौजूदगी में बनानी चाहिए थी लेकिन पटवारी हल्का ने मौके पर आये बिना अपीलान्ट द्वारा पटवारी की अनुचित मांग की पूर्ति नहीं करने पर दफ्तर में बैठ कर ही कब्जा नहीं छोडने बाबत् मिथ्या रिपोर्ट बन्नाकर नायब तहसीलदार को भेज दी जो प्रकिया के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में कब्जा छोडने का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में वादग्रस्त आराजी से पूर्व में ही कब्जा छोडने का कथन किया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में जो कथन किये हैं उनके समर्थन कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में भी अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोडने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा माफ करने का निर्णय पारित किया था परन्तु अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा छोडने के सम्बन्ध कोई शपथ पत्र /दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा